



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 757]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2018/आश्विन 30, 1940

No. 757]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2018/ASVINA 30, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2018

**सा.का.नि.1051(अ).**—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (23 के 1940) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इन प्रारूप नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो अवर सचिव, (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 414ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को अग्रेषित किया जाए अथवा [drugsdiv-mohfw@gov.in](mailto:drugsdiv-mohfw@gov.in) पर ई-मेल किया जाए।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (..... संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 43क में, "तूतीकोरिन" शब्द के स्थान पर "तूतीकोरिन एवं कामराजार बंदरगाह" और "गाँधीनगर" शब्द के स्थान पर "गाँधीनगर एवं मुंद्रा बंदरगाह" शब्दों को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एक्स.11014/25/2018-डीआर]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः** मूल नियमों को दिनांक 21 दिसम्बर, 1945 की अधिसूचना सं० एफ.28-10/45-एच (1) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. ....(अ), तारीख..... के तहत संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2018

**G.S.R.1051(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 12 and Section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 414 A, D Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at [drugsdiv-mohfw@gov.in](mailto:drugsdiv-mohfw@gov.in).

### DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (..... Amendment) Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 43-A, for the word "Tuticorin" the words "Tuticorin and Kamrajar Port"; and for the word "Gandhinagar" the words "Gandhinagar and Mundra Port" respectively shall be substituted.

[F. No. X.11014/25/2018-DR]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification No.F.28-10/45-H (1), dated 21<sup>st</sup> December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R ..... (E), dated .....